


25.08.2025

राजस्व  
बादमेर

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि अपीलांत द्वारा जिस प्रकरण में स्थगन आदेश प्राप्त किया गया था वह प्रकरण दिनांक 12.11.2022 को अदम हाजरी-अदम पैरवी में खारिज हो जाने के कारण से स्थगन आदेश प्रभावी नहीं रहा। हस्तगत अवमानना प्रार्थना-पत्र पेश होने के बाद अज अदालत द्वारा विप्रार्थीगण से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई जिसका अवलोकन करने से भी यह स्पष्ट होता है कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 179./3 के मौके व रिकार्ड द्वारा किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं की गई है। प्रार्थी द्वारा केवल मात्र सड़क निर्माण में बाधा डालने को व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया हुआ है। उक्त कथनानुसार न्यायालय के आदेश की अवमानना साबित नहीं होने के कारण हस्तगत अवमानना प्रार्थना पत्र औचित्यहीन होने से इसी स्तर से खारिज किया जाता है। उक्तानुसार निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु दाखिल दफतर हो।

  
25/8/2025  
(नवनीत कुमार)  
राजस्व अर्ज  
बाद